

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।

सेवा में

सदस्य सचिव,
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्रधिकरण,
सैक्टर-14, पंचकूला ।


यादि क्रमांक 20/3/2013-4 जे.जे.--(1)
दिनांक चण्डीगढ़ 15/3/17

विषय:-

Central Victim Compensation Fund Schemes(CVCF) Guidelines- Rgarding

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4088/LO/2017/MS/HALSA दिनांक
09.03.2016 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा पीड़ित मुआवजा(संशोधन) योजना, 2016 दिनांक 27.10.2016 की अधिसूचना की
प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।



अधीक्षक, जेल एवं न्यायिक-1

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**

Notification

The 27th October, 2016

No. S.O. 40/C.A. 2/1974/S. 357-A/2016.— In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Haryana in co-ordination with the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the Haryana Victim Compensation Scheme, 2013, namely:-

1. This scheme shall be called the Haryana Victim Compensation (Amendment) Scheme, 2016.
2. In the Haryana Victim Compensation Scheme, 2013 (hereinafter called the said scheme), in para 5, after sub-para (5A), the following sub-para shall be inserted, namely:—
“(5B) The compensation determined to be paid to minor shall be deposited in the fixed deposit.”
3. In the said scheme, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule I

Serial Number	Description of Injures/Loss	Minimum Amount of Compensation
1.	Acid attack	₹ 3 Lakhs
2.	Rape	₹ 3 Lakhs
3.	Physical abuse of minor	₹ 2 Lakhs
4.	Rehabilitation of Victim of Human Trafficking	₹ 1 Lakh
5.	Sexual assault (Excluding rape)	₹ 50,000/-
6.	Death	₹ 2 Lakhs
7.	Permanent Disability (80% or more)	₹ 2 Lakhs
8.	Partial Disability (40% to 80%)	₹ 1 Lakh
9.	Burns affecting greater than 25% of the body (excluding Acid Attack cases)	₹ 2 Lakhs
10.	Loss of foetus	₹ 50,000/-
11.	Loss of fertility	₹ 1.5 Lakhs
12.	Women Victims of cross border firing: (a) Death or Permanent Disability (80% or more) (b) Partial Disability (40% to 80%)	₹ 2 Lakhs ₹ 1 Lakh

Note:- If the victim is less than 14 years of age, the compensation shall be increased by 50% over the amount specified above.”

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार
न्याय प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2016

संख्या का0आ0 40/क0आ0 2/1974/ध0 367क/2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), की धारा 367क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, केन्द्र सरकार के समन्वय से, इसके द्वारा, हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं, अर्थात्:-

1. यह योजना हरियाणा पीड़ित मुआवजा (संशोधन) योजना, 2016, कही जा सकती है।
2. हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, 2013 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त योजना कहा गया है) में, पैरा 5 में, उप-पैरा (5क) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5ख) - नाबालिक को युगतान किया जाने वाला मुआवजा सावधि जमा में जमा किया जायेगा।”।

3. उक्त योजना में, अनुसूची 1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-
“अनुसूची-1

क्रम संख्या	घोट/हानि का विवरण	मुआवजे की न्यूनतम धनराशि
1	एसिड हमला	₹ 3 लाख
2	बलात्कार	₹ 3 लाख
3	नाबालिक का शारीरिक शोषण	₹ 2 लाख
4	मानव तस्करी शिकार के पुनर्वास	₹ 1 लाख
5	यौन शोषण (बलात्कार को छोड़कर)	₹ 50 हजार
6	मृत्यु	₹ 2 लाख
7	स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या उससे अधिक)	₹ 2 लाख
8	आंशिक विकलांगता (40 से 80 प्रतिशत तक)	₹ 1 लाख
9	शरीर के 25 प्रतिशत से अधिक जलने से प्रभावित (एसिड हमले के मामले को छोड़कर)	₹ 2 लाख
10	भ्रूण की हानि	₹ 50 हजार
11	प्रजनन क्षमता की हानि	₹ 1 लाख 50 हजार
12	सीमा पार से गोलीबारी की शिकार महिला (अ) मृत्यु या स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) (ब) आंशिक विकलांगता (40 से 80 प्रतिशत)	₹ 2 लाख ₹ 1 लाख

टिप्पण:- यदि पीड़ित 14 वर्ष की आयु से कम है, तो मुआवजे में, उपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।”।

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।